ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1, PP-71-73, YEAR 2013

बाल श्रमिकों की आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याएं (सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में)

❑ डॉ0 शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

बाल श्रम सांप्रत समाज की गंभीर समस्याओं में से एक वै ि वक समस्या है। प्रत्येक बालक को भोजन, ि ाक्षा, खेल, स्नेह पाना उसका नैसर्गिक तथा मानवाधिकार है, किन्तु बाल श्रमिकों को अपेक्षित मात्रा में इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भारत में बालश्रम की स्थिति और भी भयावह है। प्रस्तुत आलेख मध्य प्रदे ा राज्य के अंतर्गत बाल श्रमिकों की सामाजार्थिक एवं भौक्षणिक समस्याओं को प्रका ि ात करने का एक प्रयास रहा है।

ि ाक्षा ग्रहण करने एवं खेलने की आयु में जब बालक अपने व अपने परिवार की क्षुधातृप्ति के लिए काम करने को विव ा हो जाता है तब वह दो जून की रोटी के लिए एक गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करता है। 'कोल्हू के बैल' की तरह घंटों काम करने के बाद चंद रूपये से संतुष्ट होकर थक कर सो जाता है। ऐसे समय समाज की एक निष्ठुर छवि मुखरित होती है, जो न केवल दे ा में व्याप्त निर्धनता को उजागर करती है बल्कि नियोक्ताओं द्वारा किये जा रहे भाोषण की ओर भी बरबस ध्यान आकृष्ट करती है। यही कारण है कि वर्तमान परिवे ा में यह एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में एक विराट प्र नवाचक चिन्ह के साथ हमारे समक्ष उपस्थित है। इसके फलस्वरूप बाल श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं भौक्षणिक समस्याओं का अध्ययन आव यक हो गया है ताकि इसका समाज ाास्त्रीय अध्ययन संभव हो सके। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह गवेश्णात्मक भाोध ''बाल श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं भौक्षणिक समस्याएं'' उत्तर प्रदे ा के वि ोष संदर्भ में एक संक्षिप्त सारगर्भित विवेचना की प्रस्तुति है।

भाोध प्रारूप : प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदे ा के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्याओं पर प्रका ा डाला गया है, जिसमें अन्वेषिक ने उत्तर प्रदे ा के कानपुर नगर से सविचारपूर्ण निद ान विधि के आधार पर कुल 40 बाल श्रमिकों को उत्तरदाता के रूप में सम्मिलित किया है तथा महत्वपूर्ण तथ्य छूटने न पाए। अध्ययन के लिए अन्वेशिक ने साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रत्यक्ष अवलोकन से तथ्य संकलन किया, जिसके वि लेषण से निम्न निश्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

उपलब्धियां: अध्ययन उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 70 प्रति ात उत्तरदाता 11 से 18 वर्ष की आयु समूह के हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 80 प्रति ात उत्तरदाता पुरूष वर्ग के हैं जबकि 10 प्रति ात महिला वर्ग के हैं। अधिकां ा महिला बाल श्रमिक घरों में बच्चों को खिलाने, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने का कार्य करती हैं। 5 प्रति ात उत्तरदाताओं का परिवार 6 से 10 सदस्यों वाला है अर्थात बाल श्रमिकों के परिवार में भी सदस्यों की संख्या अधिक है। आय की दृष्टि से उत्तरदाताओं में परिवार की कुल मासिक आय लगभग 2000 रू0 तक है अर्थात इन बाल श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति विषम है। कार्य की दृष्टि से 62.5 प्रति ात उत्तरदाता पूर्णकालिक कार्य में संलग्न हैं, वहीं 37.5 प्रति ात उत्तरदाता अं ाकालिक कार्य करते हैं।

कार्यस्थल संबंधी स्थिति: 80 प्रति ात उत्तरदाता 6–7 घंटे कार्य करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वयस्क श्रमिकों के बराबर तो उनसे कार्य लिया जाता है, किन्तु मजदूरी उनके बराबर नहीं दी जाती है। 62.5 प्रति ात उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके मालिक उनसे निर्धारित कार्य के अतिरिक्त भी समय–समय पर कार्य लेते हैं, किन्तु उसके बदले में उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता है अर्थात वे बेगार लेकर बाल श्रमिकों का भोषण करते हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि 75 प्रति ात उत्तरदाता ऐसे हैं, जो अपनी निम्न आर्थिक द ाा एवं गरीबी के कारण मालिकों द्वारा किये जा रहे भाोषण को सहते हुए भी बाल श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। 5 प्रति ात उत्तरदाता ऐसे हैं, जो कार्य के साथ–साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। वे अपनी आय का हिस्सा पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं। 45 प्रति ात उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें साप्ताहिक अवका ा नहीं मिलता है। 67.5 प्रति ात

विभागाध्यक्ष, समाज ाास्त्र विभाग, आर0पी0पी0जी कालेज, बरूआ सागर, झांसी (उ0प्र0) भारत

का कहना है कि यदि वे अवका ा लेते हैं, तो नियोक्ता वेतन में कटौती कर देते हैं। स्पष्ट है कि बाल श्रमिक संबंधी कानून व्यवहार में निष्प्रभावी हैं। 27 प्रति ात उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्हें आकस्मिक विपत्तियों में से किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम नियोक्ताओं द्वारा नहीं दिया जाता। 72.5 प्रति ात उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा अच्छा कार्य करने पर नियोक्ता द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 11 प्रति ात उत्तरदाताओं ने पुरस्कार प्राप्ति स्वीकार किया है। पुरस्कार के रूप में उन्हें मालिकों द्वारा नगद रूपये, कपड़े, मिठाईयॉ, साईकिल आदि प्रदान किये गये हैं।

सामाजिक स्थितिः बच्चों के विकास में समाज एवं परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 62. 5 प्रति ात उत्तरदाताओं के साथ उनके मालिका का व्यवहार अच्छा है। 20 प्रति ात उत्तरदाताओं द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके मालिक बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं जबकि 17.5 प्रति ात बाल श्रमिक बताते हैं कि मालिकों का व्यवहार सामान्य रहता है।

उत्तरदाताओं ने अपनी मित्रता के सन्दर्भ में स्पष्ट किया है कि पास–पड़ोस के बच्चे उनके मित्र हैं। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 70 प्रति ात है, जबकि 27.5 प्रति ात उत्तरदाताओं के मित्र उनके सहवर्गीय कामगार बच्चे हैं।

अध्ययनगत बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति संबंधी तथ्यों के वि लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकतर (55 प्रति ात) उत्तरदाताओं को समाज स्नेह की दृष्टि से देखता है, जबकि 40 प्रति ात उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि लोग उन्हें दयापूर्वक देखते हैं। 5 प्रति ात उत्तरदाता इस विषय पर तटस्थ हैं।

मात्र 7.5 प्रति ात उत्तरदाता बाल श्रमिक के रूप में अपने कार्य को असम्मानजनक मानते हैं। 87.5 प्रति ात उत्तरदाता इसे सामान्य मानते हैं।

आवासीय स्थितिः आवास स्थल संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 80 प्रति ात उत्तरदाताओं का मकान उनके स्वयं का है, किन्तु 65 प्रति ात उत्तरदाताओं का मकान कच्चा है। 20 प्रति ात किराये के मकान में रहते हैं। 47.5 प्रति ात उत्तरदाताओं के आवास स्थल के पास का वातावरण गंदगी युक्त है एवं 82.5 प्रति ात उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया है कि उनके आवास स्थल के पास सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों को पानी, बिजली, भौचालय संबंधी बुनियादी वातावरण का स्पष्ट प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

भौक्षणिक स्थितिः बाल श्रमिकों की भौक्षणिक स्थिति संबंधी तथ्यों के विष्लेषण से स्पष्ट होता है कि 85 प्रति ात उत्तरदाताओं का भौक्षणिक स्तर मात्र 5वीं तक है। निर्धनता एवं अभाव उनकी पढ़ाई में मुख्य रूकावट है, जिसके कारण उन्हें स्कूल छोड़कर कामगार बनना पड़ा है। अि ाक्षा ही उनके अंधकारमय भविष्य की जननी है, जिसके फलस्वरूप वह जीवन पर्यन्त नियोक्ताओं द्वारा किये जा रहे भाोषण का प्रतिकार करने में भी असमर्थ से हो जाते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी स्थितिः बच्चों के विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल एवं आवास स्थल के दूषित वातावरण का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। 30 प्रति ात उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया है कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है, जबकि 70 प्रति ात उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया है कि वे अस्वस्थ्य रहते हैं। अधिकतर बाल श्रमिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके मालिकों द्वारा किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

न ो का ि ाकारः श्रमिक वर्ग प्रायः कार्य के बोझ एवं थकान के कारण न ो का ि ाकार हो जाता है। बाल श्रमिकों में भी मादक द्रव्य का सेवन पाया गया है। बाल्य काल से ही न ो की यह आदत उसे जीवन पर्यन्त न ा करने के लिए मजबूर कर देती है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जाता है तथा वह अनेक बीमारियों के ि ाकंजे में जकड़ जाता है।

अध्ययनगत कुछ उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग तम्बाकू, गुटका एवं बीड़ी–सिगरेट का करते हैं। 13.5 प्रति ात बाल श्रमिक गांजा/भांग/ ाराब का भी सेवन करते हैं। ये बाल श्रमिक मादक पदार्थों का सेवन अपने साथ कार्यरत वयस्क श्रमिकों के संगत में आकर सीख जाते हैं। कुछ बाल श्रमिक तो यह भी नही जानते कि मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

बाल श्रमिक संबंधी कानून की जानकारीः बाल श्रमिक संबंधी कानून की जानकारी के संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्य यह द ार्शाते हैं कि एक भी उत्तरदाता को सरकार द्वारा बनाए गये बाल श्रमिक संबंधी कानून की जानकारी नहीं है किन्तु 95

प्रति ात उत्तरदाताओं का विचार है कि बच्चों को कार्य पर नहीं लगाना चाहिए, वहीं 55 प्रति ात उत्तरदाता इसका विरोध करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। इसका मुख्य कारण है बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, तो वे भूखे मर जाएंगे।

बाल श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि समस्या के निवारण के लिए सरकार से अधिक अपेक्षा रखते हैं। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 87.5 प्रति ात है, जबकि 7.5 प्रति ात उत्तरदाताओं की मालिक से एवं 5 प्रति ात उत्तरदाता स्वयंसेवी संस्थाओं से अपेक्षा रखते हैं। बाल श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के सर्वोत्तम उपाय के संबंध में उत्तरदाताओं का विचार है कि माता–पिता को बच्चों पर वि ोष ध्यान देना चाहिए तथा सरकार एवं समाज का भी दायित्व है कि उन पर वि ोष ध्यान दें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। बाल श्रमिकों की आर्थिक एवं भौक्षणिक समस्याओं (सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में) से संबंधित उपर्युक्त पूर्ण विष्लेषण के प्रका ा में यह कहा जा सकता है कि अध्ययन से संबंधित अधिकां ा उत्तरदाता 11 से 18 वर्ष की आयु समूह के हैं, अधिकां ा उत्तरदाताओं से 6 से 7 घण्टे प्रतिदिन कार्य लिया जाता है, अधिकतर उत्तरदाताओं के मालिक निर्धारित समय से अतिरिक्त कार्य भी समय–समय पर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, विपुलां ा सूचनादाता स्वयं के मकानों में रहते हैं, उनकी विपुलां ा संख्या मात्र पांचवी कक्षा तक ि ाक्षित है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकां ातः अस्वस्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा किसी भी बाल श्रमिक को बाल श्रमिक संबंधी कानूनों की जानकारी नहीं है किन्तु वे बाल श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से अपेक्षा रखते हैं। निश्कर्षतः बाल श्रमिक सामाजार्थिक एवं भौक्षणिक दृष्टि से गंभीर भोशण के ि ाकार हैं तथा अमानवीय स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव सांधन मंत्रालय वार्शिक रिपोर्ट, 2004।
2. ने ानल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट–3, 2005,2006।
3. सेन्टर ऑफ ग्लोबलाइजे ान एण्ड सस्टेनेबल डवेलपमेन्ट, 2004।
4. विकिपिडिया।

*****